बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापांक--प्र0 1--स्था0--दूरभाष-02/2014 - 392 /खाद्य,पटना/दिनांक 13.01.16

सेवा में,

महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना ।

विषयः— खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों एवं पणन पदाधिकारियों को पी0डी0एस0 कम्प्यूटराईजेशन के तहत एस0एम0एस0 मॉनिटरिंग एवं जन वितरण प्रणाली निरीक्षण व्यवस्था (PDS Online Inspection Management System-POIMS) के कार्यान्वयन हेतु भारत संचार निगम लि0 से 673 सी0यू0जी0 सिम क्रय एवं उसपर एक वर्ष के अन्तर्गत होनेवाले व्यय की राशि ₹ 2831 X 673 = कुल ₹ 19,05,263/—(उन्नीस लाख पाँच हजार दो सौ तिरसठ) तथा सी0यू0जी0 सिम के विरूद्ध 673 मोबाईल क्रय किये जाने हेतु ₹ 5,000/- प्रति सेट की दर से कुल ₹ 33,65000/- (₹ तैंतीस लाख पैंसठ हजार) की राशि सम्बन्धित जिलों को उपलब्ध कराने सहित कुल ₹ 52,70,263/- (₹ बावन लाख सत्तर हजार दो सौ तिरसठ) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में ।

आदेश :— स्वीकृत ।

2. यह व्यय मुख्य शीर्ष-- 3456 सिविल पूर्ति, उप मुख्यशीर्ष 00 लघुशीर्ष-- 102 सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष—0105 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, मांग संख्या—18, विपत्र कोड - P3456001020105 वित्तीय वर्ष 2015—16 में विकलनीय होगा ।

3. इस राशि में सिम के क्रय पर होनेवाले व्यय की राशि ₹ 19,05,263/- (उन्नीस लाख पाँच हजार दो सौ तिरसठ) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं मोबाईल सेट क्रय हेतु प्रावधानित राशि ₹ 33,65000/- (₹ तैंतीस लाख पैंसठ हजार) मे से जिले को आवंटित सिम की संख्या के अनुसार प्रति सिम के विरूद्ध ₹ 5,000/- की दर से मोबाईल क्रय हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे।

4. भारत संचार निगम लि0 से 673 सी0यू0जी0 सिम के क्रय एवं उसपर होने वाले एक वर्ष के अन्तर्गत व्यय की राशि ₹ 2831 X 673 = कुल ₹ 19,05,263/- (उन्नीस लाख पाँच हजार दो सौ तिरसठ) की निकासी अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जाएगी एवं सम्बन्धित जिले के जिला पदाधिकारी जिले में आवंटित सिम की संख्या के अनुसार विहित राशि के अन्तर्गत प्रति मोबाईल ₹ 5,000/- (पाँच हजार रूपये) की दर से मोबाईल सेट का क्रय करेंगे एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र विभाग को समर्पित करेंगे। क्रय किया गया मोबाईल सेट सम्बन्धित कार्यालय की सम्पत्ति मानी जाएगी।

(हस्ताक्षर) 13/1/2016

D:\HEPSec_I SECTION I\Sanctioning_order.doc

5. सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा उपयोग किये जा रहे सिम का व्यय वार्षिक ₹ 2831/- (दो हजार आठ सौ एकतीस रूपये) से अधिक होने की स्थिति में अधिकाई राशि संबंधित पदाधिकारी द्वारा देय होगी अथवा उनसे वसूलनीय होगी।

6. विभिन्न पदो के लिए आवंटित सिम के विरूद्ध सम्बन्धित पदाधिकारी मोबाईल सेट क्रय करेंगे और स्थानान्तरण/अवकाश/सेवा–निवृत्ति/ निलंबन/अन्य कारणों से पद खाली होने/करने की स्थिति में उक्त पद पर पदस्थापित प्रभारी पदाधिकारी को सिम सहित मोबाईल सेट प्राप्त कराएँगे।

7. सम्बन्धित पदाधिकारी/कार्यालय द्वारा विहित राशि के अन्तर्गत ऐसा मोबाईल सेट क्रय किया जाएगा जो एन्ड्रॉएड(Android) हो।

8. प्रस्ताव में विभागीय माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/--
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–प्र0–1–स्था0–दूरभाष–02/2014 – 392 /खाद्य,पटना/दिनांक– 13.01.16

प्रतिलिपि:-- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार पदाधिकारी /सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अवर सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी– 5/आई0टी0 प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/1/2016
सरकार के सचिव ।

D:\2011\Sec_I\SECTION I\Sanctioning_order.doc